DR. C. V. RAMAN UNIVERSITY

Kargi Road, Kota, Bilaspur, (C.G.), Ph. : +91-7753-253728, 253737,
Fax : +91-7753-253728, e-mail : cvru@cvru.ac.in,
visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.1007 / सीवीआरयू(आईओडीई) / संचालक / 2019 बिलासपुर, दिनांक : 13.11.2019

प्रति,

श्रीमान् प्राचार्य महोदय,

....,

....,

विषयः— डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय के मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में प्रवेशित विभिन्न कार्यक्रमों के विद्यार्थियों की संपर्क कक्षा आयोजित करने विषयक्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत ज्ञात हो कि, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय है, 3 नवंबर 2006 को करगीरोड कोटा में स्थापित यह विश्वविद्यालय अपनी सभी नियामक इकाईयों UGC, AICTE, NCTE, BCI और UGC-DEB से मान्यता प्राप्त है। एवं नियमानुसार अपने सभी पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

विश्वविद्यालय में संचालित मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के अंतर्गत 24 स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होकर संचालित हो रहे हैं। इनमें प्रवेशित विद्यार्थियों की संपर्क कक्षा UGC के मुक्त एवं दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति विनियम 2017—18 के नियमों के अनुसार आपके प्रतिष्ठित महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सहमति पत्र के अनुरूप 15 नवंबर 2019 से 04 दिसंबर 2019 के मध्य आपके महाविद्यालय में संपन्न होने है।

1. संपर्क कक्षा के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स काउन्सलर (जो कि सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापक स्तर का होगा) को प्रति बैच, प्रति कक्षा 250 रूपये की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा। ज्ञात हो कि 1 कोर्स काउन्सलर 1 दिन में 4 से अधिक कक्षा नहीं ले सकेंगे।
2. संपर्क कक्षा के संचालन में महाविद्यालय की अधोसंरचना के उपयोग हेतु प्रति बैच प्रति कक्षा 25 रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा।
3. संपर्क कक्षा के दौरान संपन्न होने वाले प्रायोगिक कक्षा हेतु प्रयोगशाला सहायक को प्रति बैच प्रति कक्षा 150 रूपये की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा।
4. प्रायोगिक कक्षा हेतु उपयोग होने वाले प्रयोगशाला एवं प्रयोगशाला सामाग्री हेतु प्रति बैच प्रति कक्षा 25 रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा।
5. अध्ययन केंद्र समन्वयक द्वारा कोर्स काउन्सलर एवं प्रयोगशाला सहायक कीउपस्थिति पंजी संधारित की जायेगी, जिसके अनुसार मानदेय का भुगतान ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।

6. कोर्स काउन्सलर/प्रोग्राम काउन्सलर द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी संधारित की जायेगी एवं उपस्थिति प्रमाणित की जायेगी।

7. अध्ययन, अध्यापन हेतु प्रत्येक कार्यक्रम की कार्यक्रम निर्देशिका एवं पाठ्य सामग्री (SLM) महाविद्यालय के अध्ययन केंद्र समन्वयक के पास उपलब्ध होगी।

8. संपर्क कक्षा के व्यय का भुगतान संपर्क कक्षा की समाप्ति के उपरांत अध्ययन केन्द्र समन्वयक से प्राप्त भुगतान प्रतिवेदन के उपरांत किया जावेगा।

9. संपर्क कक्षा के दौरान अध्ययन केन्द्र समन्वयकों को निम्नांकित प्रारूप भरकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

   A. विद्यार्थियों की सत्यापित उपस्थिति पंजी।

   B. कोर्स काउंसलर की उपस्थिति पत्रक (प्रारूप–1)

   C. कोर्स कांउसलर/सुपरवाईजर का प्रायोगिक कक्षा की उपस्थिति प्रत्रक (प्रारूप–2)

   D. कोर्स कांउसलर का संक्षिप्त विवरण (प्रारूप–3)

   E. कोर्स कांउसलर का बैंक खाता का विवरण (प्रारूप–4)

   F. संपर्क कक्षा के दौरान विद्यार्थियों से जमा लिये गये असाईनमेंट/प्रोजेक्ट फाईल की प्रति। (अध्ययन केन्द्र समन्वयक विद्यार्थियों से प्राप्त असाईनमेंट की फाईल को कोर्स काउसंलर से मूल्यांकित कराकर टयूटर रिमार्क सहित विद्यार्थियों को वापस करना सुनिश्चित करें।)

   G. संलग्न प्रारूपों (1 से 4) को पूर्ण रूप से भरकर सत्यापित प्रति संपर्क कक्षा समाप्त होने के दो दिवस के अंदर विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

   H. संपर्क कक्षा की समय–सरिणी यदि अध्ययन केन्द्र द्वारा संशोधित की गई हो तो संशोधित समय सारिणी की प्रति उपलब्ध करायें।

   I. सभी स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के आधार पाठ्यक्रमों की संपर्क कक्षायें एक साथ एक ही समय में संचालित होगें।

कृपया विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि/अध्ययन केंद्र समन्वयक को आवश्यकतानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान कर हमें अनुग्रहीत करें।

सादर,

संचालक

संलग्नक :–
1. संपर्क कक्षा की रिपोर्ट एवं काउंसलर की उपस्थिति पत्रक (प्रारूप–1)
2. प्रायोगिक संपर्क कक्षा की रिपोर्ट एवं काउंसलर की उपस्थिति पत्रक (प्रारूप–2)।
3. कोर्स काउंसलरों का विवरण (प्रारूप–3)।
4. कोर्स काउंसलरों का बैंक डिटेल (प्रारूप–4)।

पृ.क्र.1008 / सीवीआरयू(आईओडीई) / संचालक / 2019 बिलासपुर, दिनांक : 13.11.2019

प्रतिलिपि–:

1. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक एवं शीघ्रलेखक को माननीय कुलपति / कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
2. उप कुलसचिव (वित्त / प्रशासन डाटाबेस गोपनीय / परीक्षा) डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सभी अध्ययन केन्द्र समन्वयक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, कृपया निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपर्क कक्षा आयोजित कर निर्धारित प्रपत्रों को भरकर विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
4. आई. क्यू. ए. सी. को सादर् सूचनार्थ।

संचालक